

चेक लिस्ट क. 21

गैर वनभूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 32.790 कि.मी., जिसमे 10.465 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त आवेदित भूमि के लिये मुख्य सचिव छ.ग. शासन द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ए. के. दीवान)

परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना

लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

क्रमांक एफ 04-09/2022/सात-1
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/11/2022

कलेक्टर,
जिला-रायगढ़
छत्तीसगढ़।

10 NOV 2022

विषय:- Diversion of forest land for no-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 for Rehabilitation and Upgrading of Bakaruma Lailunga Road area 3.843 & Dharamjaigarh-Kapu areas 10.465 ha.-regarding.
(Certificate of Non-availability of Land for Compensatory Afforestation)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1255/स.अ.भू.अ./2022, दिनांक 17.10.2022
-----00000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में ए.डी.बी. योजना अंतर्गत निर्माणाधीन धरमजयगढ़ कापू मार्ग में प्रभावित वन क्षेत्र 10.465 हे. वन भूमि तथा अन्य विकास परियोजनाओं से प्रभावित वन के बदले में उपयुक्त एवं रिक्त गैर वन (राजस्व) भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र मुख्य सचिव महोदय द्वारा हस्ताक्षरित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


(उमेश कुमार पटेल)
अवर सचिव

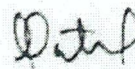
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ 04-09/2022/सात-1
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/11/2022

उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

Mahanadi Bhawan, Mantralaya

Nava Raipur Atal Nagar

E-mail : csoffice.cg@gov.in

No. F4-90/2022/7-1

Nava Raipur Atal Nagar, Date 07 NOV 2022

Subject :- Certificate of Non-availability of Land for Compensatory afforestation.

---000---

I, Amitabh Jain, Chief Secretary, Govt of Chhattisgarh do hereby certify that:

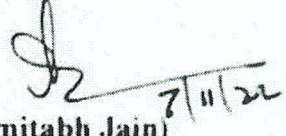
- (1) Relevant records pertaining to non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle-jhari land, civil-soyam lands and all others such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, in each district of Chhattisgarh have been examined; and
- (2) I have also conducted such further enquiry as is required to satisfy myself for issue of this certificate.

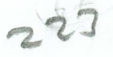
On the basis of examination of relevant records and such further enquiry, as was required for issue of this Certificate, I do hereby certify that non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle-jhari land, civil-soyam lands and all other such categories of forest lands (except of forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provision of the Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government maybe utilised for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose, is not available in the entire Chhattisgarh.

- (3) This Certificate is being issued for the following project:-

S.No.	Name of Scheme	Name of District	Affected Forest land in Hectares
1.	Chhattisgarh State Road Sector project (ADB project) P.W.D. Bilaspur (Chhattisgarh) for the work rehabilitation and upgrading of Dharamjaigarh-Kapu Road.	Raigarh	10.465 Hectares (Ten Point four six five)

Issue under my hand and seal on this 07 day of November, 2022.


(Amitabh Jain)
Chief Secretary
Government of Chhattisgarh



(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone - 07752-400946

ज्ञाप. क्रमांक 1652/तक./लोन-3/पी.20/ए.डी.बी./2019-20 बिलासपुर दिनांक 28/12/2019

प्रति,

कलेक्टर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

वि. विषय :-

रायगढ़ जिले के अंतर्गत धरमजयगढ़-कापू मार्ग कुल लम्बाई 32.596 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि/राजस्व वन भूमि की उपलब्धता/अनुपलब्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने बाबत।

— 00 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य ए.डी.बी. लोन-3 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। उक्त कार्य के अन्तर्गत 10.465 हेक्टेयर वन भूमि/राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसका वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु प्रभावित वन भूमि के समानुपातिक (10.465 हेक्टेयर) राजस्व भूमि अथवा दोगुनी (20.93 हेक्टेयर) राजस्व वन भूमि की आवश्यकता है।

अतः राजस्व/राजस्व वन भूमि की उपलब्धता (नक्शा, खसरा सहित)/अनुपलब्धता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सहपत्र :- शून्य ।

(ए.क. दीवान)

परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना,
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक 1653/तक./लोन-3/पी.20/ए.डीबी/2019-20 बिलासपुर दिनांक 22/12/2019
प्रतिलिपि :-

1. परियोजना निदेशक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. सिरपुर भवन रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. टीम लीडर, फोरट्रेस इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइसरी सर्विसेस, बंगला नम्बर-31, एश्वर्य किंगडम कचना रोड रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहपत्र :- शून्य ।

(ए.के. दीवान)

परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना,
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.वी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- comp.bilaspur.cg@nic.in) Phone:- 03782-400016

आप क्रमांक 743

एल-3/पी.20/ए.डी.वी./2020-21

बिलासपुर दिनांक 12/06/2020

प्रति,

कलेक्टर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :-

रायगढ़ जिला अंतर्गत पैकेज-20, धरमजयगढ़-कापू मार्ग कुल लम्बाई 32.596 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि/राजस्व वन भूमि की उपलब्धता/अनुपलब्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने कायदा।
आपका आप क्रमांक 659/स.अ.भू.अ./2020 रायगढ़ दिनांक 12.06.2020

संदर्भ :-

— 00 —

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि समानुपातिक (10.465 हेक्टे.) राजस्व भूमि अथवा दोगुनी (20.93 हेक्टे.) राजस्व वन भूमि धरमजयगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है।

इस संबंध में सादर निवेदन है कि प्रभावित वन भूमि/राजस्व वन भूमि 10.465 हेक्टे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ जिले में कहीं पर भी समानुपातिक (10.465 हेक्टे.) राजस्व भूमि अथवा दोगुनी (20.93 हेक्टे.) राजस्व वन भूमि उपलब्ध हो तो (नक्शा, खसरा सहित) उपलब्ध कराने अन्यथा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करेंगे।
सादर प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।

परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.वी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक 12/06/2020

पृष्ठां. क्रमांक

...../तक./लोन-3/पी.20/ए.डी.वी./2020-21

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी धरमजयगढ़/खरसिया/लैलूंगा/रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री एम.आर. कौशिक, सहायक परियोजना प्रबंधक/श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, गुणवत्ता पर्यवेक्षक, ए.डी.वी. प्रोजेक्ट, छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहपत्र :- शून्य।

परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.वी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)